संख्या-602/69-1-11(बजट)/96

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
अनुसचिव,
उ.प्र. शासन

सेवा में,

निदेशक/सचिव
राज्य नागर विकास अभिकरण
उ.प्र., लखनऊ

लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 1996

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट नगरों के लिए स्तम्भ-3 से 11 में उल्लिखित प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की 07 उपयोजनओं हेतु उक्त स्तम्भों में उपयोजनावार अंकित धनराशियों के विवरणानुसार वर्ष-1995-96 में केन्द्रांश के सापेक्ष देय अवशेष राज्यांश रूपये 503.97 लाख एवं चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में 1444.61 लाख रूपये के प्राप्त होने वाले केन्द्रांश के सापेक्ष 1356.30 लाख रूपये के कुल देय राज्यांश में से 226.03 लाख कुल धनराशि रूपये -7,30,00,000.00 मात्र (रूपये सात करोड़ तीस लाख मात्र) का अनुदान दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(1) उपरोक्तानुसार स्वीकृति की गयी रूपया-7,30,00,000.00 मात्र के अनुदान में रूपया-1,50,000.00 मात्र रूपये का अनुदान अनुसूचित जाति योजना के लिए है। अतः उक्त रूपया 1,50,000.00 माच रूपये की धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति के लाभार्थी पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) यह कि उक्त धनराशि शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय ाारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना की उल्लिखित उपयोजनाओं के कार्यान्वयन पर लागू की जायेगी। समस्त धनराशि चयनित नगरों के लिए 15 दिने के भीतर सम्बन्धित जिला नागर विकास अभिकरण को भेज दी जाय तथा इस धनराशि का उपयोग समय से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस धनराशि का विनियोजन बैंक अथवा डाकघर में नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाय जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से तत्काल आहरण, चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में अवश्य कर लिया जाय। स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र.शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सम्यक देयक प्रपत्र तैयार कराकर किया जायेगा।

(4) आहरण की सूचना उपमहालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा) उ.प्र. इलाहाबाद को आदेश की प्राप्ति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(5) इस धनराशि का तत्परता से उपयोग करा लिया जाय और उसके बाद तुरन्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार व महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारति् अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरूपयोगित धनराशि यदि कोई हो, एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(6) निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊको योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

(7) सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ आहरण की प्रत्येक वर्ष गांठ पर अपने लेखों का मिलना महालेखाकार के कार्यालय के लेखों के अवश्य कर लेंगे।

(8) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धरति विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

9. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-1996-97 के अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षक के नाम डाला जायेगा :-

(धनराशि हजार रूपये में)

2230-श्रम तथा रोजगार-आयोजनागत-
02-रोजगार सेवायें-101-रोजगार सेवायें
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-
0101-प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन की योजना-
14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता रू. 92,73

2217-शहरी विकास-आयोजनागत-
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-
191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहारी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-
01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
0102-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नरीय मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत मूलभूत भौतिक सुविधायें-

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	3,34,16

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

0102- प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधर के अन्तर्गत मूलभूत भौतिक सुविधायें- 14-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	1,30,00
0103-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय स्थायी मलिन बस्तियों के नागरिकों को मूलभूत सुवधायें- 14- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायकता	रू.	8,23
02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0103-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय स्थायी मलिन बस्तियों में नागरिकों का मूलभूत सुविधायें- 14 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	20,00
0104-प्रधानमंत्री एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर हेतु मूलभूत भौतिक सुविधायें उपलबध कराने की योजना-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	70,65
0105-प्रधानमंत्री एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आश्रय सुधार योजना- 14-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	30,98
0106-प्रधानमंत्री एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मूलभूत सामाजिक सुविधाओं की योजना-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	12,34

0107-प्रधानमंत्री एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र की योजना-14-सहायक अनुदान/ अंशदान/राजसहायता	रू.	30,91

(रूपये सात करोड़ तीस लाख मात्र) योग- 7,30,00

3. यह ओदश वित्त के आवासीय सं.-ई-6-672/ए-97 दिनांक : 21 मार्च, 1997 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव

संख्या-602(1)/69-1-11 एनआर(बजट)/97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. निदेशक (ई एण्ड पीए) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भा/स, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ.प्र. कमला नेहरू पार्क इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-6, वित्त (आय-व्ययक) अनु.-2 नियोजन अनुभाग-4
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
6. वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या-602/69-1-11 एनआर (बजट)/96 दिनांक- 26 मार्च 1997 का संलग्नक

प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय उन्मूलन कार्यक्रम की नगरवार!उप योजनावार एवं सामान्य, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.सी.पी.) के अनुसार स्वीकृत राजयांश की तालिका :-

क्रम	नगर	नगरीय मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार ए–1 अ सामान्य	एस.सी.	नगरीय स्थाई मूलभूत भौतिक ए–2 ब सामान्य	मलिन बस्ती सुविधायें एस.सी.	सम्पूर्ण नगर हेतु स्वरोजगार मूलभूति भौतिक सुविधायें ए–2	बी–1	आश्रय सुधार बी–3	मूलभूत सामाजिक सुविधाये सीं	बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र डी–1	योग एस.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	औरैया	5.36	2.17	0.13	0.33	1.13	1.49	0.50	0.20	0.50	11.81
2.	आजमगढ़	8.29	3.63	0.20	0.56	1.75	2.30	0.77	0.31	0.77	18.58
3.	बलिया	8.87	2.65	0.22	0.41	1.88	2.46	0.82	0.33	0.82	18.46
4.	बलरामपुर	6.29	1.69	0.15	0.26	1.33	1.75	0.58	0.23	0.58	12.86
5.	बांदा	10.22	4.01	0.25	0.62	2.16	2.83	0.95	0.38	0.94	22.36
6.	बाराबंकी	6.82	1.75	0.17	0.27	1.44	1.89	0.63	0.25	0.63	13.85
7.	बडौल	7.15	1.80	0.18	0.28	1.51	1.98	0.66	0.26	0.66	14.48
8.	बस्ती	9.22	5.20	0.23	0.80	1.95	2.56	0.85	0.34	0.85	22.00
9.	बैलाप्रतापगढ	6.96	1.73	0.17	0.27	1.47	1.93	0.65	0.26	0.64	14.00
10.	भदोई	6.76	2.83	0.17	0.44	1.43	1.87	0.63	0.25	0.62	15.00
11.	बिजनौर	7.02	1.87	0.17	0.29	1.48	1.95	0.65	0.26	0.65	14.34
12.	चन्दौसी	8.73	5.37	0.22	0.83	1.85	2.42	0.81	0.32	0.81	21.36
13.	चाँदपुर	5.89	1.40	0.15	0.22	1.63	0.55	0.22	0.54	11.85	
14.	देवबन्द	6.99	1.16	0.17	0.18	1.48	1.94	0.65	0.26	0.65	13.48
15.	देवरिया	8.67	2.21	0.21	0.34	1.83	2.41	0.80	0.32	0.80	17 59
16.	एटा	8.28	4.14	0.20	0.64	1.75	2.30	0.77	0.31	0.77	19.16
17.	गंगाघाट	5.30	2.89	0.13	0.44	1.12	1.47	0.49	0.20	0.49	12.53
18.	गाजीपुर	8.08	2.22	0.20	0.34	1.71	2.24	0.75	0.30	0.75	16.59
19.	गोण्डा	10.08	2.43	0.25	0.37	2.15	2.50	0.93	0.37	0.93	20.29
20.	हरदोई	9.36	3.38	0.23	0.52	1.98	2.60	0.87	0.35	0.87	20.16
21.	कैरानाँ	5.92	1.71	0.15	0.26	1.25	1.64	0.55	0.22	0.55	12.25
22.	कन्नौज	6.22	3.05	0.15	0.47	1.31	1.73	0.58	0.23	0.58	14.32
23.	कासगंज	7.98	3.64	0.20	0.56	1.69	2.22	0.74	0.29	0.74	18.06
24.	काशीपुर	7.37	1.06	0.18	0.16	1.56	2.05	0.68	0.27	0.68	14.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	खुर्जा	8.47	4.49	0.21	0.77	1.79	2.35	0.79	0.31	0.78	20.46
26.	लखीमपुरखीरी	8.44	2.40	0.21	0.37	1.78	2.34	0.78	0.31	0.78	17.41
27.	ललितपुर	8.43	4.15	0.21	0.64	1.78	2.34	0.78	0.31	0.78	19.42
28.	महोबा	5.94	4.07	0.15	0.63	1.26	1.65	0.55	0.22	0.55	15.02
29.	मैनपुरी	8.10	3.99	0.20	0.61	1.71	2.25	0.75	0.30	0.75	18.66
30.	मचाना	5.46	1.79	0.13	0.28	1.15	1.51	0.51	0.20	0.50	11.53
31.	मुबारकपुर	4.74	0.92	0.12	0.14	1.01	1.33	0.44	0.16	0.44	09.37
32.	मुगलसराय	7.02	4.62	0.17	0.71	1.48	1.95	0.65	0.26	0.65	17.51
33.	नगीना	6.18	1.75	0.15	0.27	1.31	1.71	0.57	0.23	0.57	12.74
34.	नजीराबाद	7.06	1.67	0.17	0.26	1.49	1.96	0.65	0.26	0.65	14.17
35.	उरई	10.42	5.44	0.26	0.84	2.20	2.89	0.97	0.38	0.96	24.36
36.	पिलखुआ	5.29	3.78	0.13	0.58	1.12	1.47	0.49	0.20	0.49	13.55
37.	ऋषीकेश	4.69	2.84	0.12	0.44	0.99	1.30	0.44	0.17	0.43	11.42
38.	रूड़की	8.47	2.95	0.21	0.45	1.79	2.35	0.79	0.31	0.78	18.10
39.	रूद्रपुर	6.47	4.21	0.16	0.65	1.37	1.79	0.60	0.24	0.60	16.09
40.	सहसवान	5.39	1.37	0.13	0.21	1.14	1.50	0.50	0.20	0.50	10.94
41.	शाहाबाद	5.66	1.84	0.14	0.28	1.20	1.57	0.52	0.21	0.52	11.94
42.	शामली	7.48	2.23	0.18	0.34	1.58	2.07	0.69	0.28	0.69	15.54
43.	शिकोहाबाद	6.63	3.55	0.16	0.55	1.40	1.84	0.61	0.24	0.61	15.59
44.	सिकन्दराबाद	6.44	2.75	0.16	0.42	1.36	1.79	0.60	0.24	0.60	14.36
45.	सुल्तानपुर	8.08	2.65	0.20	0.41	1.71	2.24	0.75	0.30	0.75	17.09
46.	टाण्डा	7.42	2.05	0.18	0.29	1.59	2.07	0.69	0.26	0.71	15.36
	योग--	**334.16**	**130.00**	**8023**	**20.00**	**70.65**	**92.73**	**30.98**	**12.34**	**30.91**	**730.00**

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव